

ग्रामीण क्षेत्र उप तहसील जोशियाडा जनपद उत्तरकाशी वर्ष 2016-17

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग /मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मी०)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				निर्धारित दर			निर्धारित दर				(प्रति वर्ग मी०)		(प्रति वर्ग मी०)	
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रेणी-क	1-गवाणा 2-नेताला 3- हीना	ऋषिकेश - गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1518000	1478400	1452000	1040	836	172	15281	17811	15281	14181	13081
2	श्रेणी-क	1-मानपुर का बाजार क्षेत्र 2- अलेथ का बाजार क्षेत्र 3-साडा का बाजार क्षेत्र 4-थलन का बाजार क्षेत्र	उत्तरकाशी -लम्बगांव मोटर मार्ग	1467400	1429120	1403600	702	576	166	14941	17474	14944	13844	12744
3	श्रेणी-ख	1-धनपुर,2-साडंग,3-मानपुर 4-थलन, 5-साडा, 6-अलेथ	उत्तरकाशी -लम्बगांव मोटर मार्ग	1442100	1404480	1379400	690	566	163	14933	17463	14933	13833	12733
4	श्रेणी-ग	1-गजौली, 2- नाल्ड का रवाड़ा तोक	गंगोरी -संगमचटटी मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720
5	श्रेणी-ग	1-पाटा, 2-संगाली,	तेखला-महिडाण्डा मोटर मार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720
6	श्रेणी-ग	1-मस्ताडी,2-बाँगाडी, 3-कुरोली,4-कंकराडी	मुस्टिकसौड-कुरोली कंकराडी मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720
7	श्रेणी-ग	1-बसुगां,2-साल्ड,3-गमदि डगांव, 4- निसमोर	ज्ञानसू -साल्ड मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720

8	श्रेणी-ग	उत्तरों	गंगोरी-उत्तरों मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14966	17496	14966	13866	12766
9	श्रेणी-ग	किशनपुर, मानपुर	मानपुर -किशनपुर मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14966	17496	14966	13866	12766
10	श्रेणी-ग	नाल्ड	चिंवा-नाल्ड मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720
11	श्रेणी-घ	प्रारूप-1 व 2 को छोड़कर तहसील भटवाडी अन्तर्गत स्थित ऐसे अविकसित राजस्व ग्राम जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं।	1-नौगाव,2-भकोली, 3-अगोडा, 4-दंदलका 5- सेकू, 6-डासडा, 7-झाण्जा, 8-अठाली, 9-घामकोट, 10-पोखरी, 11-सित्याण, 12-निराकोट, 13-दिलसौड (मनेरा लोक को छोड़कर) 14- बग्यालगांव	0	0	1270500	0	0	157	14457	16987	14457	13357	12257

नोट-1- अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.050 हेक्टेयर (500 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

5- एकल व्यवसायिक सम्पत्तियों जो शापिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से लगाया जाये।

6- वाणिज्यिक भवन, जो शापिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, के क्रय-विक्रय के लिए भूतल की दर से प्रथम तल, द्वितीय तल तथा तीसरे एवं उससे उपर की तलों की दरों के लिये क्रमशः 10,20, व 30 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
उत्तराकाशी

अपर जिलाधिकारी  
उत्तराकाशी

जिलाधिकारी  
उत्तराकाशी

## नगरीय क्षेत्र तहसील मोरी | वर्ष 2016-17

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	अकृषित भूमि										
				वर्तमान 2016 की दर			वर्तमान 2016 की दर			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण (प्रति वर्ग मीटर)	
				0 से 50 मीटर (19प्रतिशत वृद्धि)	50 से 200 मीटर (15प्रतिशत वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (10प्रतिशत वृद्धि)	0 से 50 मी0 (20प्रतिशत वृद्धि)	51 से 200 मी0 (15प्रतिशत वृद्धि)	200 मी0 से बाहर (10प्रतिशत वृद्धि)		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
----- शून्य -----														

- नोट-1- अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति
- क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,
- ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,
- ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,
- घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,
- तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- 2- 0.050 हैक्टेयर (500 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।
- 3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- 4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।
- 5- एकल व्यवसायिक सम्पत्तियों जो शॉपिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से लगाया जाये।
- 6- वाणिज्यिक भवन, जो शॉपिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, के क्रय-विक्रय के लिए भूतल की दर से प्रथम तल, द्वितीय तल तथा तीसरे एवं उससे उपर की तलों की दरों के लिये क्रमशः 10,20, व 30 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
उत्तराकाशी

अपर जिलाधिकारी  
उत्तराकाशी

जिलाधिकारी  
उत्तराकाशी

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बड़कोट वर्ष 2016-17

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (प्रति हे० में)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
				निर्धारित दर			निर्धारित दर				दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रेणी-क	वीफ, खरसाली, वनास, वाडिया(हनुमानचट्टी), राना, कुन्साला (स्यानाचट्टी), भन्साडी (खरादी), खनेडा (खरादी) काण्डी, किसना, तुनाल्का	दिल्ली - यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1476600	1412400	1412400	1086	932	172	15324	17854	15324	14224	13124
2	श्रेणी-ख	ग्राम डण्डालगाँव, बड़कोट (पौलगाँव), बजरी, पाली, पुजारगाँव, कुथनौर, किसाला, नन्दगाँव, बिल्लागाँव, कुवों, पिफियारा, सिगुणी (बर्नीगाड), कण्डारी(सारीगाड) खमुण्डीमल्ली (सारीगाड) रिखाचं, कण्डारी, खनाटी, मातला, दुईक, बडेगी का राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाला भाग)	1-धरासू-राष्ट्रीय राजमार्ग 2-दिल्ली-यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1451990	1388860	1388860	637	570	168	14884	21100	18110	16810	15510
3	श्रेणी-ग	(सुनारा, पलेठा, मजियाली) (कोटियालगाव, बगासू, पौन्टी, सुनाल्डी, डाण्डगाँव, सिना, गोना, ईडक, गडोली, कोटी बनाल, बखरेटी, धानकी, गुलाड़ी, भानी, धराली, राजगढी, डख्याटगाँव, फरी, गंगटाडी, कोटी ठकराल, चपटाडी, सरनौल) नन्दगाँव का राजतर तोक, डख्याटगाँव का टटाउ तोक)	1-नौगाँव-पलेठा एवं नौगाव -पुरोला मोटर मार्ग- 2-नौगाँव-राजगढी-गंगटाडी- सरनौल मोटर मार्ग 3- राजतर-राजगढी मोटर मार्ग	1427380	1365320	1365320	542	467	166	14797	17327	14797	13697	12597
4	श्रेणी-घ	बिजौरी, निसणी, सेमलसारी, पालुका, नरयूका, धारीपल्ली, कलोगी, हिमरौल, कफनौल, ठोल्याका, बर्नीगाड मु०, तिर्यो, बजलाड़ी, मानणगाँव, बर्नीगाड खाटल	1-कुंवा-कफनौल मोटर मार्ग 2- कफनौल-ठोल्याका-दारसों होते हुये सेमलसारी मोटर मार्ग	1402770	1341780	1341780	527	446	163	14782	17312	14782	13682	12582
5	श्रेणी-ड	गोदीन, खमुण्डीतल्ली, खमुण्डीमल्ली, गातू, कलोजगाँव, मताड़ी, खिर्मु, बुरसी, लोदन, ओडगाँव, जुगडगाँव, मोलागाँव कखोन, दियाडी, सेतवाडी, डरोगी, भाटिया, गढ, चोपडा, कसलाना धान, नगाणगाँव, मसालगाँव, खाण्ड, ब्याली, गैर वनाल	1-डामटा-कण्डारी- सारीगाड मोटर मार्ग 2-सारीगाड-गातू-मोलागाँव मोटर 3-दियाडी-सेतवाडी मोटर मार्ग 4-किसना-भाटिया मोटर मार्ग 5-गमरागढ-चोपडा-कसलाना मोटर मार्ग 6-वाडा-खण्ड-मसालगाँव मोटर मार्ग 7-गैर-ब्याली मोटर मार्ग	1378160	1318240	1318240	222	185	161	14522	17052	14522	13422	12322

6	श्रेणी-च	दुर्विल, पिण्डकी मदेश,निसणी, कोठार, दागुणगाँव, कुपडा, त्रिखली, हलना ,पाली, फूलधार, कुर्सिल, स्यालब, सुकण, स्यालना, भन्साड़ी ,कन्सेरू, मोल्डा, कुण्डा, बचाणगाँव, बसराली, पटांगणी ,पालर, क्वालगाँव मस्सू, घुण्ड, धीसाली, जखाली, नाल्ड, कुड्ड, सिसाला, कोटला, नथेडगाँव, घण्डाला, झुमराडा, बिसाटगाँव, डेल्डा, बिगराडी, करनाली ,काण्डा, पौडी, छेटी, जेष्टाडी, कुणी, गौल वनाल, नैणी ,मटियाली, किम्मी, विंगसी ,पिसारु,रस्टाडी ,कडाचं ,पालुका ,नरयुंका, ,पमाडी , गैर मुगरसन्ती, बिगसी , क्वाडी, सपेटा, कोटियाल गाँव, कन्सोला ,खान्सी, बलाडी, बर्नागाड , छुडी, तेडा, जरडा ,बिरूथा, देवल, पमाडी, रिखारं, कसलाना, न्यूडी, भौती, सरणाचक ,खावला, कुफन ,निसणी, नौगाँव गोडर, ठोत्युंका, कलोजगाँव, मताडी, केवलगाँव, खिरुं, जान्दुणगाँव ,फुवाणगाँव ,झिमाणगाँव, जुगडगाँव, भुनडगाँव, कखोन,	उक्त कोई भी ग्राम मोटर मार्ग से आच्छादित नहीं है।	-	-	1294700	-	-	157	17094	20084	17094	15794	14494

नोट-1- अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- कृषि या अकृषि भू-खण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भू-खण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दरों के दो गुने (200 प्रतिशत) से कम नहीं होगा।

4- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

5- बहुमंजलीय आवासीय भवन एवं वाणिज्यिक भवन के सुपर ऐरिया के सम्बन्ध में शासन से सुझाव मांगे जा रहें हैं, शासन से स्थिति स्पष्ट होने पर निर्धारित दरें के अनुसार यदि कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो तदनुसार अतिरिक्त शुल्क जोड़कर श्रेणीवार गणना की जायेगी।

6- बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल , द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
जिला कार्यालय उत्तरकाशी

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

ग्रामीण क्षेत्र तहसील भटवाडी ,जनपद उत्तरकाशी वर्ष 2016-17

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग /मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर में )			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				निर्धारित दर			निर्धारित दर				(प्रति वर्ग मीटर)		(प्रति वर्ग मीटर)	
				0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रेणी-क	1-मनेरी का बाजार व डेम कालोनी क्षेत्र 2-औगी का भाटुसोड तोक,3-सैज का बाजार तोक,4-कुमाल्टी, 5-लाटा,6-मल्ला ,7-भटवाडी, 8-धराली का बाजार वाला क्षेत्र	श्रुधिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1518000	1478400	1452000	1040	836	172	15281	17811	15281	14181	13081
2	श्रेणी-ख	1-मनेरी,2- सैज,3-पाला का स्वारी गाड तोक, 4-तिहार का गंगनानी 5- सुनगर का बाजार तोक, 6-भंगोली (गंगनानी/डबरानी) 7-हुरी का गर्म कुण्ड ,8 सुक्धी, 9-झाला, 10-धराली,11-हर्षिल	श्रुधिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1492700	1453760	1427800	823	653	168	15063	17593	15063	13963	12863
3	श्रेणी-ग	1-पाला,2-बार्सू	भटवाडी -बार्सू मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720
4	श्रेणी-ग	1-क्यार्क,2-बन्द्राणी,3-नटीण,4- रैथल	भटवाडी-रैथल मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720
5	श्रेणी-ग	1-पाही,2-द्वारी,3-गोरशाली,4-जखोल	भटवाडी-गोरशाली मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720

6	श्रेणी-ग	1-भेलाटिपरी, 2-सौरा,3-सारी	मल्ला-भेलाटिपरी सौरा सारी मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720
7	श्रेणी-ग	1-जौकाणी,2-जखोल	सैंज -जखोल मोटरमार्ग	1416800	1379840	1355200	677	557	161	14920	17450	14920	13820	12720
8	श्रेणी-घ	प्रारूप-1 व 2 को छोड़कर तहसील भटवाडी अन्तर्गत स्थित ऐसे अविकसित राजस्व ग्राम जो सडक मार्ग से नही जुड़े है।	1-मुखवा,2-जादुग 3-बगोरी,4 -नेलंग,5-पुराली, 6-कुज्जन, 7-सॉलंग, 8-सिल्ला, 9 जोडाव, 10-पिलंग, 11-भुक्की 12-सालू 13-स्यावा,	0	0	1270500	0	0	157	14457	16987	14457	13357	12257

नोट-1- अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.050 हेक्टेयर (500 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

5- एकल व्यवसायिक सम्पत्तियों जो शापिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से लगाया जाये।

6- वाणिज्यिक भवन, जो शापिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, के क्रय-विक्रय के लिए भूतल की दर से प्रथम तल, द्वितीय तल तथा तीसरे एवं उससे उपर की तलों की दरों के लिये क्रमशः 10,20, व 30 प्रतिशत की कम की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

जिला कार्यालय उत्तरकाशी

अपर जिलाधिकारी

उत्तरकाशी

जिलाधिकारी

उत्तरकाशी

**ग्रामीण क्षेत्र तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी। वर्ष 2016-17**

क्र० सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मोटर मार्ग/क्षेत्र मार्ग/मोहल्लो का विवरण	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि प्रति हेक्टेयर			अकृषित भूमि हेक्टेयर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित प्लैट की दर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				वर्तमान 2016 की दर			0 से 50 मीटर तक	50 से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान /रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
				0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रेणी-क	1-काण्डी, 2-जेष्टवाड़ी, 3-मोर्गी, 4-बरेट, 5-श्रीकोट बिष्ट, 6-कुठाल्डी, 7-बनाड़ी, 8-गड़ोली।	1-बडेथी-बनचौरा-बद्रीगाड़ मोटर मार्ग।	1430715	1393392	1368510	626	522	176	14874	17404	14874	13774	12674
2	श्रेणी-ख	1-मथाली, 2-क्यारी दशगी, 3-बनोट पल्ला, 4-बनोट वल्ला, 5-बागी दशगी, 6-बड़ली, 7-पुजारगांव दशगी, 8-बणगांव, 9-कवाटा, 10-जिब्या, 11-डाण्डागांव, 12-सिंगाणगांव, 13-मंगाणगांव, 14-रिखाणगांव, 15-खदाड़ा, 16-बदालडा, 17-उड़खोला, 18-रमोली, 19-तराकोट, 20-टिपरी दशगी, 21-टण्डोल, 22-छैजुला, 23-नेरी, 24-तुल्याड़ा, 25-गैलाड़ी, 26-भड़कोट, 27-कवागढ़ी, 28-भैंगवालगांव, 29-जोगत बिचला, 30-जोगत मल्ला, 31-सर्प, 32-क्यारी दिचली, 33-हडियाड़ी, 34-अनोल, 35-बगोड़ी, 36-बधाणगांव, 37-मल्ली, 38-बल्डोगी, 39-छोटी मणी, 40-बड़ीमणी, 41-बरोल, 42-खालसी, 43-कुमराड़ा।	1-सिल्क्यारा बणगांव-चापड़ा सरोट मोटरमार्ग। 2-बडेथी गुनालीबैण्ड-उड़खोला-जिब्या- टण्डोल मोटर मार्ग। 3-चिन्याली-जोगत मोटर मार्ग 4-मणी-बधाणगांव-खालसी मोटर मार्ग।	1406048	1369368	1344915	546	459	173	14864	17394	14864	13764	12664

3	श्रेणी-ग	1-कान्सी, 2-मौघ, 3-कान्दला, 4-मथोली, 5-इन्द्रा, 6-टिपरी बिष्ट, 7-कामदा, 8-कपराड़ा, 9-बादसी, 10-अदनी, 11-रौतल, 12-मरगांव, 13-चमियारी, 14-पीपलखण्डा, 15-उलण, 16-पुजारगांव गमरी, 17-खाण्ड, 18-भुयारा, 19-कैथोगी, 20-जोखणी, 21- भल्डगाव, 22-चिलोट।	1-चिन्धाली-सरोट चापड़ा मोटरमार्ग 2-टण्डोल-छैजुला मोटर मार्ग 3-बडेथी-बनचौरा-कान्दला- महेड़ा कटखेत मोटर मार्ग 4-कैथोगी मोटर मार्ग 5-इद्रा-टिपरी मोटर मार्ग 6-बनचौरा-बणगांव मोटर मार्ग 7-चिन्धाली-बादसी मोटर मार्ग 8-धरासू-रौतल मोटर मार्ग 9-धरासू-चमियारी उलण मोटर मार्ग 10-भड़कोट-रौतल गोलोकधाम मोटर मार्ग 11-जेष्टवाड़ी-जोखणी मोटर मार्ग 12- बरोल-बडीमणी- भल्डगाव मोटर मार्ग 13- कान्सी-कोटी-थिराणी मोटर मार्ग 14- चिलोट मोटर मार्ग	1381380	1345344	1321320	524	422	171	14781	17311	14781	13681	12581
4	श्रेणी-घ	1-जोगत तल्ला, 2-गढ़वालगाड, 3-कटखाण, 4-न्यू खालसी, 5-वनकोट, 6-जगडगाँव, 7-श्रीकोट दिचली, 8-कोट गमरी, 9-चौदपुर, 10-गमरी खास, 11-जसपुर, 12-कोट गैरी, 13-गड्थ, 14-मुरोगी, 15-सूरी, 16-दारगढ़, 17-बमणती, 18-कोट बिष्ट, 19-बागी बिष्ट, 20-सिरा, 21-थाती दिचली।	मोटर मार्ग से आच्छादित न होने वाले ग्रामों में भूमि की दर	-	-	1297725	-	-	167	14467	16997	14467	13367	12267

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
जिला कार्यालय उत्तरकाशी

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

**अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तहसील चिन्वालीसौड़ जिला उत्तरकाशी। वर्ष 2016-17**

क्र० सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मोटर मार्ग/क्षेत्र मार्ग/मोहल्लो का विवरण	सामान्य दर (Base Rate)										
				कृषि भूमि प्रति हेक्टेयर			अकृषित भूमि प्रति हेक्टेयर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित प्लैट की दर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				वर्तमान 2016 की दर			0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान /रेस्टोरेन्ट /कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
				0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्रेणी-क	1- नागणी छोटी 2- हटारा।	1-ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	9108000	8870400	8712000	1056	976	935	15356	17886	15356	14256	13156
2	श्रेणी-ख	1- नेरी (दिखोली तोक) 2- धारकोट (बनचौरा तोक) 3- टण्डोल (कोटधार तोक)	1-धरासू-जोगत मोटर मार्ग। 2-बडेथी-बनचौरा-बद्रीगाड मोटर मार्ग। 3- बडेथी-गुनाली बैण्ड-उडखोला-जिब्या-टण्डोल मोटर मार्ग	8728500	8500800	8349000	1012	936	891	15312	17842	15312	14212	13112

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
जिला कार्यालय उत्तरकाशी

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

**नगरीय क्षेत्र तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी। वर्ष 2016-17**

क्र० सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मोटर मार्ग/क्षेत्र मार्ग/मोहल्लो का विवरण	सामान्य दर (Base Rate)													
				कृषि भूमि प्रति हेक्टे०			अकृषित भूमि प्रति हे०			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित प्लैट की दर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर				
				वर्तमान 2016 की दर			0 से 50 मीटर तक	50 से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	दुकान /रेस्टोरेन्ट /कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
				0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	श्रेणी क	नगर पंचायत चिन्यालीसौड़ के वार्ड न० 02, चुपल्या श्यामपुर, वार्ड न०- 3 सूरीटांग, वार्ड न०- 4 पीपलमण्डी, वार्ड न० 5 जोगत रोड एवं वार्ड न० 6 नागणी बडी, धनपुर।	1- ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	9108000	8870400	8712000	2200	1980	1760	16500	19030	16500	15400	14300			
2	श्रेणी ख	नगर पंचायत चिन्यालीसौड़ के वार्ड न० 01 चिन्याली मूलगाव, वार्ड न० 07 बडेथी धरासू।	1- ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 2- धरासू- यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	9108000	8870400	8712000	1980	1760	1540	16280	18810	16280	15180	14080			

- नोट- 1- अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति क- 18 मीटर या चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या, ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या, ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या, घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- 2- 0.050हेक्टेयर (500वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषित भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।
- 3- भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित है तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- 4- बहुमंजलीय आवासीय एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह सभी तलों की दरें हैं।
- 5- एकल व्यवसायिक सम्पत्तियां जो शापिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं हैं, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से लगाया जाये।
- 6- वाणिज्यिक भवन, जो शापिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं हैं, के क्रय-विक्रय के लिए भूतल की दर से प्रथम तल, द्वितीय तल तथा तीसरे एवं उससे ऊपर की तलों की दरों के लिये क्रमशः 10, 20 व 30 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
जिला कार्यालय उत्तरकाशी

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी



**ग्रामीण क्षेत्र तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी। वर्ष 2016-17**

क्र० सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मोटर मार्ग / क्षेत्र मार्ग / मोहल्लो का विवरण	सामान्य दर (Base Rate)													
				कृषि भूमि			अकृषित भूमि			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित फ्लैट की दर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर				
				वर्तमान 2016 की दर			0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
				0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	श्रेणी-क	पटारा (नालूपानी तोक), रतूड़ीसेरा, गेंवला(बरसाली), चिणाखोली, बरसाली (निचला नाकुरी), खट्टूखाल (रूणबासा तोक)।	1-धरासू-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1483500	1444800	1419000	938	725	185	15185	17715	15185	14085	12985			
2	श्रेणी-ख	कौड़ा-फेडी, कल्याणी, हरेती, पनोथ, भद्राली, कुमराड़ा, जसपुर, खुरमोला, नगल, ग्योंगोटी, जिनेथ, सौन्द (भण्डारस्यू), बग्यालखेत, पैन्थर, मांडियासारी।	1-धरासू-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1458775	1420720	1395350	756	520	182	14998	17528	14998	13898	12798			
3	श्रेणी-ग	अस्तल, रनाड़ी, हिटांगू, गवाणा, दिकबिजपुर, किरुण, कोटी-भाटगांव, फोल्ड, बगसारी, चकोन, पिपली-मंजकोट, भटवाड़ी-धनारी, पुजारगांव (धनारी), बमणगांव, चिलमुड़गांव, उदाल्का, भालसी, दिगथोल।	1-देवीधार-रनाड़ी मोटर मार्ग 2-देवीधार-फोल्ड मोटर मार्ग	1434050	1396640	1371700	702	575	178	14943	17473	14943	13843	12743			

4	श्रेणी-घ	मंजगांव,वाण, नवागांव, मैनोल, बड़ेथ (पट्टी भण्डारास्यू), रेशगी, टिपरा, जोग्याड़ा, छमरौली, जेमर, मैनोल, जुणगा, जखारी, पटारा, मालना, गेंवला (पट्टी बरसाली), बौन, सिंगुणी, दुंगी, गाण्डा-बाण्डा, पैणी-भवान, ईड़, थाती, कलीगांव, बग्यालगांव, पटुड़ी, दड़माली, डांग, जसपुर, जुगुल्डी, गढ(बरसाली), खरवां, सौन्द (बरसाली), पंज्याला, बरसाली, कवां, खुरकोट, भराणगाँव, उपरीकोट, भाटूसेरा, कुन्सी, पाव, मांगलीसेरा, सिंगोट, बान्दू, लोल्दू, ओल्या, दिगथोल, बगियालगाँव, रागडीसेरा, सांगोसेरा,	1-सिलक्यारा-बणगांव मोटर मार्ग 2-ब्रहमखाल-जुणगा मोटर मार्ग 3-कल्याणी-पटारा मोटर मार्ग 4-गेंवला-बौन मोटर मार्ग 5-देवीधर-पटुड़ी मोटर मार्ग 6-पुजारगांव-दड़माली मोटर मार्ग 7-कल्याणी-जुणगा मोटर मार्ग 8-नाकुरी-सिंगोट मोटर मार्ग 9-स्यालना-जसपुर-डांग- औल्या मोटर मार्ग 10-गेंवला-जुगुल्डी-पंज्याला मोटर मार्ग 11-बड़ेथी-कवां मोटर मार्ग 12-ज्ञानसू-साल्ड-उपरीकोट मोटर मार्ग, 13- स्यालना-नवागाँव मोटर मार्ग 14- कल्याणी-हरेती मोटर मार्ग 15- कचूडा-देवता कुराह मोटर मार्ग 16- मांगलीसेरा-कुन्सी मोटर मार्ग	1384600	1348480	1324400	522	426	173	14778	17308	14778	13678	12578
5	श्रेणी-ड 0	बुधाणगांव, सोमन, पुजारगांव (भण्डारस्यू), मसोन, सरतली, कुलेथ, चिनाणगांव, दुंगालधार पंचाणगांव, दुंगालगांव, डाण्डागांव, माजफ, धारकोट, मुसडगाँव, दिवली।	उक्त कोई भी ग्राम मोटर मार्ग से आच्छादित नहीं हैं।	-	-	1300750	-	-	171	14470	17000	14470	13370	12270

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
उत्तरकाशी

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

**अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी। वर्ष 2016-17**

क्र० सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मोटर मार्ग/क्षेत्र मार्ग/मोहल्लो का विवरण	सामान्य दर (Base Rate)													
				कृषि भूमि			अकृषित भूमि			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित प्लैट की दर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर				
				वर्तमान 2016 की दर			0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	दुकान /रेस्टोरेन्ट /कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
				0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	श्रेणी-क	1-बड़ेथी, 2-मातली,	धरासू-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	8970000	8736000	8580000	1022	932	875	15262	17792	15262	14162	13062			
2	श्रेणी-ख	1-गेंवला (भण्डारस्यू), 2-बीरपुर, 3-डुण्डा, 4- सिंगोटी	धरासू-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	8625000	8400000	8250000	1008	891	836	15224	17754	15224	14124	13024			

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
उत्तरकाशी

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

नगरीय क्षेत्र तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी। वर्ष 2016-17

क्र० सं०	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मोटर मार्ग/क्षेत्र मार्ग/मोहल्लो का विवरण	सामान्य दर (Base Rate)													
				कृषि भूमि			अकृषित भूमि			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित प्लैट की दर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर				
				वर्तमान 2016 की दर			0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	दुकान /रेस्टोरे न्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
				0 से 50 मीटर तक	50 से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1				षून्य													

नोट- 1- अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.050हेक्टेयर (500वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषित भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित है तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवासीय एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह सभी तलों की दरें हैं।

5- वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए भूतल की दर से प्रथम तल, द्वितीय तल तथा तीसरे एवं उससे ऊपर की तलों की दरों के लिये क्रमशः 10, 20 व 30 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

6- एकल व्यवसायिक सम्पत्तियां जो शापिंग मॉल/काम्पलैक्स का भाग नहीं हैं, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से लगाया जाये।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
उत्तरकाशी

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

